भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 239
19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: छोटे और सीमांत किसानों द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग

239. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छोटे और सीमांत किसान आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी और विभिन्न विशेष योजनाओं के उपयोग से होने वाले लाभों को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों/क्षेत्रों/क्षेत्रकों, जहां लाभ नहीं पहुंच सके हैं, सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अप्रचलित प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले क्षेत्रों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि संस्थानों/विश्वविद्यालयों ने विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए सूचना/ज्ञान का उचित प्रसार करने के लिए कृषि विस्तार योजनाओं को पुनर्जीवित करने में कोई भूमिका निभाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): कृषि, राज्य का विषय है। केंद्र सरकार पूरे देश में कृषि को बढ़ावा देने तथा आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग से लाभान्वित होने के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को बढ़ावा देने हेतु अनेकों केन्द्र प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), कृषि यंत्रीकरण उपमिशन (एसएमएएम), समेकित बागवानी मिशन आदि के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता देती है और उनके कार्यों में सहायक होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के प्रचलनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों के कुल आवंटन

का कम से कम 33% लघु एवं सीमांत किसानों तथा 30% महिला किसानों के लिए आवंटित किया जाता है। किसानों को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर होने वाले व्यय तथा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम बनाने के वास्ते आय सहायता देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नामक एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का 01.12.2018 से आरंभ किया है।

(ग) भारत सरकार अप्रचलित प्रौद्योगिकी से छुटकारा पाने और कृषि में नई प्रौद्योगिकी जैसे एचवाईवी बीजों, कृषि यंत्रीकरण, सूक्ष्म सिंचाई आदि को प्रारंभ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

(घ) एवं (ड.): भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र स्कीम का 100% वित्त पोषित किया जाता है तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों और कृषि में कार्य करने वाले गैर - सरकारी संस्थानों के लिए स्वीकृति किए जाते हैं। केवीके, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) का एकीकृत भाग हैं। इनका उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, परिशोधन तथा प्रदर्शन करके कृषि एवं संबद्ध उपकरणों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉडयूल का मूल्यांकन करना है। केवीके, कृषि प्रौद्योगिकी के जानकारी एवं स्रोत केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं जो लघु एवं सीमांत किसानों की कृषि अर्थव्यवस्था और क्षमता विकास के साथ-साथ अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी संबंधी कौशल के उन्नयन के लिए सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रयासों में सहायता प्रदान करते हैं।